वन एवं पर्यावरण विभाग

झारखण्ड सरकार, रांची

सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1583 व0प0, रांची, दिनांक-03.04.2013 के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा-3 की उप धारा-3 के अन्तर्गत दत शक्तियों का योग करते हुए भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या- का0आ0 1533 (अ0) दिनांक-14.09.2006 के अनुपालन में उक्त अधिसूचना में वर्णित प्रवर्ग-''ख'' की परियोजनाओं पर विचार एवं निर्णय हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश संख्या- का0आ0 3010 (अ) दिनांक- 29.12.2012 द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (State Level Environment Impact Assessment Authority-SEIAA) एवं राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (State Expert Appraisal Committee-SEAC) का गठन किया गया है। राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति प्रवर्ग-''ख'' से संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु समर्पित आवेदन पत्रों पर सभी अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त लोक सुनवाई के प्रतिवेदन के आधार पर अपनी अनुशंसा देती है। समिति की अनुशंसा के आधार पर प्राधिकरण द्वारा उन परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में SEIAA तथा SEAC के क्रियान्वयन के विषय पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्णय लिए गए हैं :-

1. State Level Environment Impact Assessment Authority-SEIAA, एवं State Expert Appraisal Committee-SEAC का कार्यालय तत्काल झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के कार्यालय (टी0ए0 डिविजन बिल्डिंग, एच0ई0सी0 कैम्पस, पो0-धुर्वा, रांची) में कार्यरत रहेगा।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदक द्वारा विहित पत्र में पूर्ण आवेदन निर्धारित परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fees) के साथ Member Secretary, State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) को SEIAA के कार्यालय पते पर प्रेषित/समर्पित किया जायेगा।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु समर्पित आवेदनों पर निम्नांकित विवरण के अनुरूप परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fees) अधिरोपित होगी :-

Sl.	Total Project Cost/Spread	Scrutiny Fees
1.	Project cost Upto Rs. 5 Crores	Rs. 1.00 Lakh
2.	Project cost over Rs. 5 Crores & Upto Rs. 25 Crores	Rs. 2.00 Lakh
3.	Project cost over Rs. 25 Crores & Upto Rs. 100 Crores	Rs. 3.00 Lakh
4.	Project cost more than Rs. 100 Crores	Rs. 5.00 Lakh
5.	Mining Lease of Major Minerals like Iron, Bauxtie, Chromite, Limes Stone, Coal etc. (Excluding Project Cost of other facilities)	Rs. 2.00 Lakh
6.	Minor Minerals	
	a. Below 1 Acre	Rs. 10,000.00
	b. More than 1 Acre to 2.5 Acres	Rs. 50,000.00
	c. More than 2.5 Acres	Rs. 1,00,000.00

4. आवेदक द्वारा परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fees) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन के साथ समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट State Level Environment Impact Assessment Authority, Jharkhand के पक्ष में रांची (Ranchi) में भुगतेय होगा।
5. परीक्षण शुल्क (Scrutiny Fees) उन आवेदनों पर भी भावी होगा जिनके आवेदन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा झारखण्ड राज्य को स्थानान्तरित किया गया है।

उप सचिव

P.R. 61882 (Forest) 13-14

6 April 2013

Hindustan Times.